फर्द अहकाम

गुलिस्ता बनाम सरकार

संख्या: 82/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2.05.2024	प्रार्थीया गुलिस्ता अख्तर ने प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड में चेला के स्थान पर पत्नि दुरूस्त करवाने का पेश किया बहस प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया ने निवेदन किया कि ग्राम खोनागोरियान पटवार मण्डल खोनागोरियान भू.अ क्षेत्र खोनागोरियान के आराजी खसरा नम्बर 4701/3306 रकबा 0.50 हैक्टेयर की कृषि भूमि की जमाबंदी में स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2002 में गुलिस्ता अख्तर चेला शादाब अख्तर व शहनाज बेगम चेला अब्दुल वहीद अंकित हो गया है जिसकों गुलिस्ता अख्तर पत्नि शादाब अख्तर व शहनाज बेगम पत्नि अब्दुल वहीद शुद्व किया जावें। बहस प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है अतः प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 136 स्वीकार किया जाकर ग्राम खोनागोरियान पटवार मण्डल खोनागोरियान भू.अ क्षेत्र खोनागोरियान के आराजी खसरा नम्बर 4701/3306 रकबा 0.50 हैक्टेयर की कृषि भूमि की जमाबंदी में गुलिस्ता अख्तर चेला शादाब अख्तर व शहनाज बेगम चेला अब्दुल वहीद के स्थान पर गुलिस्ता अख्तर पत्नि शादाब अख्तर व शहनाज बेगम पत्नि अब्दुल वहीद शुद्व किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर [illegible] सांगानेर)	